सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

प्रार्थना–पत्र संख्या:–11/2017 दायर दिनांक 06.02.2017

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. नारायणराम पुत्र रेवन्ताराम, उम्र–75साल, 2. अमरचन्द पुत्र रेवन्ताराम, उम्र–55साल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुरजाराम पुत्र रूपाराम, 2. आशाराम पुत्र रूपाराम, 3. नेमाराम पुत्र रूपाराम, 4. रामाकिशन पुत्र रूपाराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–चौमूँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. भँवरलाल पुत्र उमाराम, 6. रघुनाथ पुत्र उमाराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–धूड़िला, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. रूकमादेवी पुत्री उमाराम पत्नी अमरचन्द, जाति–ब्राह्मण, निवासी–भदलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. भींवाराम पुत्र रूपाराम, जाति–ब्राह्मण, निवासी–दुगोली, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. नानूराम पुत्र मोतीराम, 10. हुकमाराम पुत्र मोतीराम, 11. शांतिदेवी पत्नी मोतीराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–चौमूँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. होशियारसिंह पुत्र नाथूसिंह, 13. शक्तिसिंह पुत्र दीपसिंह, 14. भँवरकँवर पत्नी दीपसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. गोरधनराम पुत्र रेवन्तराम, जाति–ब्राह्मण, निवासी–मामड़ोदा,

2 – 2

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. मांगीलाल पुत्र बालूराम, 17. सत्यनारायण पुत्र बालूराम, 18. प्रेमसुख पुत्र बालूराम, 19. जुगल पुत्र बालूराम, 20. राजेन्द्र पुत्र बालूराम, 21. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–मामड़ोदा, हालनिवासी–वार्ड नम्बर 13, सुजानगढ, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू, राजस्थान, 22. नायब तहसीलदार, खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश–09 नियम 13 व सपठित धारा–151 C.P.C.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.06.2017

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण स्वर्गीय अर्जुनराम के वंशज हैं। स्व0 रूपाराम के वारिसान् गाँव मामड़ोदा आज से करीब 50 वर्ष पहले चौमूँ, धूड़िला व दुगोली (जायल) गये, जहाँ आज भी आबाद है तथा प्रार्थी व प्रार्थी का भाई गोरधन ग्राम मामड़ोदा के ही मूल निवासी है, जहाँ उनके जमीन, जायदाद व मकान है।

वाकै शरहद चौमूँ की समस्त खेताय की भूमि स्वर्गीय रूपाराम के वारिसान् की है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि बाबत् कोई व आपत्ति नहीं है।

वाकै शरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 09.07 बीघा, खेत खसरा नम्बर 243 रकबा 01.04 बीघा, खेत खसरा नम्बर 08 रकबा 20 बीघा व खेत खसरा नम्बर 8/253 रकबा 20.01 बीघा, खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 13.16 बीघा तथा खेत खसरा नम्बर 79 रकबा 20.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 79/263 रकबा 18.19 बीघा, खेत खसरा

(लगातार)

Scanned by CamScanner

नम्बर 79/264 रकबा 03 बीघा भूमि स्वर्गीय रूपाराम व रेवन्तराम के वारिसान् की पैतृक सम्पत्ति की है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है।

अप्रार्थी सुजाराम, आशाराम, नेमाराम व रामाकिशन ने न्यायालय हाजा में एक वाद घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व रिकॉर्ड दुरस्ती का बअनुवान् वादीगण सुजाराम वगैरा बनाम् प्रतिवादीगण उमाराम वगैरा मुकदमा नम्बर 78/2002 प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय दिनांक 03.11.2006 को न्यायालय हाजा द्वारा किया गया, मगर उक्त निर्णयानुसार आज तक पालना नहीं हुई है। उक्त वाद में जारी नोटिस भी प्रार्थीगण को स्वयं के द्वारा तामिल कभी नहीं किये गये।

उक्त वादी की जानकारी सम्बन्धित पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त करने पर सर्वप्रथम दिनांक 30.01.2017 को व न्यायालय हाजा से उक्त वाद व निर्णय की नकलें लेने पर दिनांक 31.01.2017 को हुई। प्रार्थीगण को यह जानकार आश्चर्य हुआ कि तामिल स्वयं द्वारा नहीं करवाकर आबाद मकान पर चस्पानगी बताकर दिनांक 28.06.2002 को एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाकर उक्त निर्णय प्रार्थीगण की बिना जानकारी के हो गया जबकि प्रार्थीगण परिवार सहित खेतीबाड़ी का काम करते हैं व हरवक्त घर में ही रहते है।

प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि वाकै शरहद मामड़ोदा में खसरा नम्बर 08 रकबा 20 बीघा में से 07 बीघा में से 1/2 यानि रकबा 03.10 बीघा प्रार्थी नारायणराम व 1/2 हिस्सा यानि 03.10 बीघा पर प्रार्थी अमरचन्द, खसरा नम्बर 79/264 रकबा 03 सम्पूर्ण प्रार्थी अमरचन्द, खसरा नम्बर 79 रकबा 20.10 बीघा में से रकबा 06 बीघा दक्षिणी खामयाद के रास्ते पर प्रार्थी नारायणराम रकबा 07.10 बीघा उत्तरी प्रार्थी अमरचन्द तथा खसरा नम्बर 34 रकबा 13.16 बीघा में से रकबा 04.12 बीघा पश्चिमी प्रार्थी नारायण्राम के बन्ट, कब्जाकाश्त व खातेदारी की है तथा मौके पर इसी अनुसार सींवें–नींवें कायम की हुई है, जिससे यह एकपक्षीय डिक्री प्रथमदृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण खेतीहर मजदूर व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, जिनकी बिना जानकारी के अप्रार्थीगण द्वारा साजिश के तौर पर एकपक्षीय कार्यवाही स्वयं के द्वारा तामिल नहीं होने के बावजूद भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली, जो काबिले निरस्त है। यह है कि मामला अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है।

मामला अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है यही उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीगण को जवाब का समुचित अवसर नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण को अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए निर्णय व डिक्री दिनांक 03.11.2006 को अपास्त कर प्रार्थीगण को जवाबदेही का अवसर दिया जावे तथा उक्त निर्णय व डिक्री की क्रियान्चिती स्थगित किया जाना भी न्याय संगत होगा जिस हेतु अलग से आवेदन पेश है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2017/11
दायर दिनांक 06.02.2017 निर्णय दिनांक 16.06.2017
नारायणराम, वगैरा बनाम् सुरजाराम, वगैरा।

प्रार्थना, प्रार्थीगण है कि–

निर्णय व डिक्री दिनांक 03.11.2006 को अपास्त कर प्रार्थीगण को जवाब का समुचित अवसर देकर निर्णय किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 01, 03, 04 व 15 की तरफ से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण/वादीगण सुरजाराम, आशाराम, नेमाराम, व रामाकिशन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया, जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा में प्रकरण पेश हुआ। पक्षकारान् उपस्थित हुए। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर सहमत हैं। पत्रावली का अवलोकन किया।

अतः बाद विवेचन, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 के तहत् प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, मूल वाद संख्या 78/2002 निर्णय दिनांक 03.11.2006 में, प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी एकपक्षीय डिक्री आदेश को प्रार्थीगण की हदतक, अपास्त किया जाता है। तद्नुसार मूलवाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को नियमानुसार सुनवाई का मौका एतद् द्वारा दिया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

निर्णय आज दिनांक **16.06.2017** को कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

Scanned by CamScanner